पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन संबंधी
अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (अक्तूबर-2022 से मार्च-2023)

1	परियोजना का नाम	चमेरा पावर स्टेशन, चरण-II (300MW)
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्युत परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या एवं तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	 सं. जे-11016/44/84-ईएन-5, दिनांक 06.03.1985 सं.8-53/86- एफसी, दिनांक 17.06.1987
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	 चम्बा हिमाचल प्रदेश 32^0 31' 34" उ0 76^0 08' 30" पू0
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड एवं टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	 समूह महाप्रबंधक (प्रभारी), चमेरा पावर स्टेशन, चरण-II, एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176310 टेलीफोन नं: 01899-220210 फैक्स नं.: 01899-220030,220131 कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण व विविधता प्रबंधन विभाग) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 टेलीफोन: 0129-2254674
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	पर्यावरण प्रबंधन में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं: (i) क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम

		(ii) जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (iii) पुनरुद्धार एवं मलबा निपटान योजना (iv) हरति पट्टी योजना (v) स्वास्थ्य पहलू (vi) परियोजना के श्रमिकों के लिए नि:शुल्क ईंधन की व्यवस्था
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र एवं गैर-वन क्षेत्र) ख) अन्य	 क) जलमग्न क्षेत्र : i) वन भूमि : 24.75 हैक्टेयर ii) निजी भूमि : 0.38 हैक्टेयर iii) सरकारी भूमि : 3.63 हैक्टेयर ख) अन्य : i) वन भूमि : 12.32 हैक्टेयर ii) निजी भूमि : 24.5122 हैक्टेयर[#] iii) सरकारी भूमि : 15.785 हैक्टेयर *# 0.3278 हैक्टेरयर के हस्तांतरण के बाद कुल निजी भूमि (क्रम संख्या ख (ii) बिक्री के माध्यम से पूलिंग स्टेशन के निर्माण के लिए पीजीसीआईएल को डीड दिनांक 3.11.2020*
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना प्रभावित परिवारों का विवरण क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या : **93** • जिन परिवारों ने केवल घर खोए हैं उनकी संख्या : **25** • जिन परिवारों ने आंशिक रूप से केवल कृषि भूमि खोई है, उनकी संख्या : **63** • जिन परिवारों ने घर और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं, उनकी संख्या : **05** (क)अनु.जा. = 21, अनु.ज.ज = 03 (ख)अन्य = 69 कुल = 93
9	वित्तीय ब्यौरा क) आरम्भ में प्रयोजित की	 (क) ₹ 1684.02 करोड़ (अगस्त,1998 मूल्य स्तर)

	गई परियोजना की लागत एवं बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष	
	ख) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए नियतन	(ख) ₹13 करोड़ (अगस्त, 1998 मूल्य स्तर)
	ग) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	(ग) ₹2062.88 करोड़ (पूंजीगत)
	घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	(घ) ₹1256.70 लाख
10	वन भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति	(क) इस परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.6.1987 द्वारा 78.78 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन संबंधी स्वीकृति दी गई थी। परंतु, परियोजना के निर्माण-कार्य के लिए केवल **37.07** हैक्टेयर भूमि ली गई।
	ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई की स्थिति	(ख) वन भूमि पर पेड़ो की कोई कटाई नहीं की गई है।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/अथवा नियोजित)	(क)18.05.1999 (वास्तविक)
	ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा नियोजित)	(ख) 09.02.2004 (वास्तविक)
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी तक आरम्भ नहीं की गई है	लागू नहीं । परियोजना पूर्ण हो चुकी है ।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा	पर्यावरण निगरानी समिति (ईएमसी) परिपत्र दिनांक 16.02.2000 द्वारा गठित की गई है। ईएमसी की 5वीं बैठक और स्थलों का दौरा 16 एवं 17 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था।

	ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिमला के प्रतिनिधि ने 28.02.2023 से 29.02.2023 तक ईसी के निरीक्षण के लिए चमेरा-II पावर स्टेशन का दौरा किया।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी का उल्लेख अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न।

अनुलग्नक-1

क्र.स	पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तें	अनुपालन की स्थिति
i	निकटवर्ती वन क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए, निर्माण कार्य के दौरान संलग्न श्रमिकों को परियोजना लागत पर एक आवश्यक ईंधन व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए ईंधन डिपो को परियोजना क्षेत्र में खोला जाना चाहिए और इस लागत को कवर करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।	चमेरा-II परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2004 में ही पूरा किया जा चुका है। अत: इस समय, श्रमिकों हेतु मुफ्त ईंधन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, परियोजना के कर्मचारियों के लिए, एलपीजी सिलिंडर की व्यवस्था करियां, चंबा स्थित एलपीजी डिपो से की जा रही है।
ii	निर्माण क्षेत्र की बहाली जितना संभव हो सुनिश्चित की जानी चाहिए: -गड्ढों को भरने व समतल करना -खुले ढलान पर पौधा लगाना एवं -भू निर्माण इत्यादि।	चमेरा-II परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2004 में ही पूरा किया जा चुका है। निर्माण क्षेत्र की पुनर्स्थापना का काम गड्ढों को भरके, समतल करके तथा वृक्षारोपण के साथ-साथ ढलान संरक्षण उपायों के माध्यम से किया गया। एनएचपीसी द्वारा जनवरी, 2023 के महीने में 28.19 लाख रुपये के व्यय के साथ डंपिंग साइटों की मरम्मत और रखरखाव का काम किया गया है।
iii	परियोजना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जलाशय परिधि और जल संवाहक प्रणाली की ओर वनीकरण करके ग्रीन बेल्ट बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान परियोजना के अनुमानित खर्च में किया	राज्य वन विभाग के माध्यम से ग्रीन बेल्ट योजना ₹ 55.20 लाख की कुल लागत पर लागू की गई ।

	जाना चाहिए।	
iv	परियोजना क्षेत्रों के आस-पास वनावरण और वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवैध शिकार विरोधी कानून को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त स्टाफ भी प्रदान किया जाना चाहिए।	अवैध शिकार विरोधी कानून को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।
v	सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने और आसपास के वातावरण का कम से कम नुकसान हो इसके लिए राज्य वन विभाग, वन्यजीव विंग और सरकारी विभाग के प्रतिनिधि के साथ एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए।	पर्यावरण निगरानी समिति का गठन परिपत्र संख्या NH/CH-II/C&P/P-165/2000/208-13 दिनांक 16.2.2000 द्वारा किया गया है।